न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 103/2016 **दायरा दिनांक : 10.06.2016**

उनवान

बंशीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति लोधा, निवासी झीकनी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये पैरोकार झालावाड जिला झालावाड

2— रामप्रसाद आत्मज आशाराम, जाति चमार, निवासी झीकनी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अमर सिंह एवं श्री मुकेश लोधा अभिभाषक
अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 05.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या —

136/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम झीकनी तहसील मनोहरथाना में खतौनी संख्या नयी 1 की खसरा नम्बर 540 रकबा 4 बिस्वा आराजी स्थित है । इस पर वादी का अपने पिता के समय से 40 वर्ष से लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका इल्म प्रतिवादी का है । आराजी को वादी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.03.2012 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस दिया जाता रहा है । अपीलांट ने राजस्व रेकार्ड पेश किया है । ग्राम पंचायत के द्वारा आराजी को गैर मुमकिन आबादी में आवंटन करा लिया है इसलिए रेकार्ड में आबादी गैर मुमकिन रेकार्ड दर्ज हो गयी है । रेवेन्यु रेकार्ड से परे जाकर दावे को खारिज किया है । रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने भी हस्ताक्षर किये हैं, इस कारण उसे पक्षकार बनाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी मिलने पर नकल दिनांक 23.10.2015 को प्राप्त की गई और रूपयों का इंतजाम कर अपील पेश की जा रही है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पर अपीलांट का कब्जा है और गलत रूप से गैर मुमकिन आबादी मानते हुए दावा खारिज किया है । अपीलांट को धारा 91 के नोटिस दिये जाते रहे हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आराजी गैर मुमकिन आबादी है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी सिवाय चक है पर अपना कब्जा बताते हुए कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । राजस्व रेकार्ड सलंग्न किया गया है उसमें आराजी निवास स्थान एवं बस्तियां एवं गैर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्शायी गयी है । अपीलांट की आपत्ति यह है कि आराजी गैर मुमकिन आबादी नहीं है । उन्हें 91 के नोटिस दिये जाते रहे हैं । यदि तर्क के लिए इस आराजी को अपीलांट के कथन को नहीं मानते हुए राजस्व भूमि मान ली जाये तो भी सरकारी आराजी पर कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । दावा वादी मेंटेनेबल नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा